

*The question was put and the motion was adopted*

**SHRI GURUDAS DAS GUPTA:**  
Sir, I introduce the Bill.

**THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1986 (TO AMEND THE SEVENTH SCHEDULE)**

**SHRI CHITTA BASU** (West Bengal): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

*The question was put and the motion was adopted*

**SHRI CHITTA BASU:** Sir, I introduce the Bill.

**THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1986**

(Insertion of new part XIA)

**SHRI CHITTA BASU:** (West Bengal): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

*The question was put and the motion was adopted*

**SHRI CHITTA BASU:** Sir, I introduce the Bill.

to amend Articles 324, 325, 326, etc.

**THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1986**

**SHRI CHITTA BASU** (West Bengal): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

*The question was put and the motion was adopted*

**SHRI CHITTA BASU:** Sir, I introduce the Bill.

**[THE AGRICULTURAL WORKERS (MINIMUM WAGES AND WELFARE) BILL 1986]**

**SHRI N. E. BALARAM** (Kerala): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the payment of minimum wages and for welfare of agricultural workers.

*The question was put and the motion was adopted*

**SHRI N. E. BALARAM:** Sir, I introduce the Bill.

**THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1986**

(insertion of new Article 333-A)

**SHRI N. RAJANGAM** (Tamil Nadu): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

Sir, in our country some constituency seats for election to the Lok Sabha and to the State Assemblies have been reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This has been done for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. However, there is no such reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in local bodies in the country. The organisations of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been demanding for such reservation on the basis of their population. Hence the need for reservation seats for election of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is being strongly felt by the majority of voters of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. A few years back Tamil Nadu Legislative Assembly had adopted a resolution recommending to the Central Government to suitably amend the law to give due representation to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the local bodies, but no such amending Bill has so far been brought forward by the Central Government. Hence my Bill seeking to reserve some of the seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Sir, I want to speak in Tamil now.

\*Sir, all our National Leaders including Mahatma Gandhi who laid down their lives for the sake of the Nation and the makers of the Constitution very much aspired that for the progress of the country and to sustain the democratic and egalitarian ideologists cherished by our forefathers, the down-trodden should be protected at all levels and at all costs. They must be given adequate representation in all spheres of activities. Mahatma Gandhiji tried to improve the conditions of the Harijans and he also started a paper entitled

\*English translation of the original Tamil speech.

'Harijan', Sir, I move this Bill, with a view to emphasise that reservation provisions for local bodies such as Panchyat Unions, Village Panchyats, Municipalities and Corporations should be inserted in the Constitution.

Sir, our Constitution makers wanted that the benefits of developmental activities of our country must reach the people of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We had amongst us great leaders like Dr. Ambedkar who hailed from the down-trodden communities. Dr. Ambedkar and other leaders toiled for our freedom. Mahatma Gandhi sacrificed his life for the sake of the country. The leaders visualised that for strengthening a democracy it was necessary to give Scheduled Castes and Scheduled Tribes better opportunities in civil services, in Parliamentary and Legislative Institutions.

Before independence, there were Taluk Boards and Zilla Parishads in Tamil Nadu State. Now they have been abolished. We have now set up Panchayat Raj through village and town Panchayats Municipalities and Corporation for local administration. Local bodies are the nerve centre of a country's life. Sir, in many of the villages, the evils of untouchability still prevail. Man oppresses his own brethren on the basis of caste, creed and religion. This should go. It is a matter of great shame to note that this evil which has infested the Indian people for centuries together still countries. It must be checked and eradicated. The masses who sweat in the sun and bake the food for the entire country should not be given a raw deal. They must be rehabilitated. They must be assured that they are also in the mainstream. The country had to witness a pathetic situation in Meenakshipuram of Tamil Nadu when the oppressed Scheduled Castes were converted to Muslim and the same is continuing in other States also.

Sir, the condition of Scheduled Tribes is also the same. They are the grass-root cadre workers of the

country. But they are not treated as human beings in many of the villages.

Still the caste based discrimination is prevailing in many of the villages. That is why Sir, I suggest that they should be adequately represented in the governing of their own affairs particularly when they are in majority in the villages. Domination of a few should stop.

A resolution was unanimously passed in the Legislative Assembly of Tamil Nadu under the leadership of our dynamic Chief Minister Dr. M. G. R. and was sent to the Government of India for necessary legislation. But it is still pending.

In some States like Andhra Pradesh reservation are made on rotation basis within the provisions embodied in the Directive Principles of State Policy.

In 1942, there was an All India Conference of Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the Chairmanship of Dr. Ambedkar which resolved that proportional representation for Scheduled Castes and Tribes must be provided in the Central and State Legislative Assemblies, and also in all the local bodies right from the membership to the Chairmanship. Sir, this resolution was passed in 1942 and we got independence in 1947. Five years before independence this resolution was passed. We should realise its importance. It is because we find this discrimination on the basis of Caste and creed mostly in villages.

So, through this Bill, I plead to this august House to support the measures suggested by me so that hundreds and hundreds of our own brethren will be benefited. The Bill, thus, seeks to materialise the visions of the founders like Mahatma Gandhi, Dr. Ambedkar and others in building a truly democratic system of Government in India through Panchavati Raj.

Thank you.

*The question was proposed.*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE). Mr. Jadhav. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman. Sir, my friend Mr. Rajan-

gam has brought this Bill regarding representation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and reservations in Panchayats, Samities, Zila Parishads and in other sectors.

Sir, I would like to bring to the notice of this House that Maharashtra is already having reservations for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We are giving representation on the basis of percentage of population. In the case of Assemblies and Lok Sabha the question does not arise because reservations have already been done by the Election Commission on the basis of population. I am proud to say that Maharashtra is the only State which has given representation to the Scheduled Tribes people from general constituencies. So when the question of general constituencies arises I do not think there will be any question of reservation. However, I learn from this motion that in some parts of the country there is no reservation. I feel it is unjust on the part of the administration not to give representation to the downtrodden and the depressed people of the area. So I fully agree with the honourable Member. When we are talking of providing economic justice to the large masses of this country, when we are thinking of creating equal educational opportunities to the large masses of this country from that point of view, our Government is fixing its level best by formulating several Plans and I am proud to say India has now entered into the Seventh Plan. In every Plan there has been a lumpsum amount of reservation for development of the downtrodden people of this country. Therefore, it is very clear from that that our intention, our objective, is to lift the people who have been depressed, who have been suppressed, for generations together, for centuries together, by the upper class communities. Actually it has been a matter of struggle for existence. It has been survival of the fittest as per the words of the famous scientist, Darwin. As per the formulation of the society itself, the

dominating factor is the upper class people always try to dominate the weaker sections of the people. It is a matter of exploitation. Exploitation should not be there but it is very much there in human character that we think of ourselves, we are selfish, that is, man tends to become selfish. Out of selfishness man tries to dominate, exploit, the weaker sections of the people for the betterment of his own interests. It was for the upliftment of the downtrodden and the depressed that our independence movement started under the leadership of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru. We started the independence movement for economic and social independence for the large masses of our country. That was the main theme behind our swaraj movement. I remember very well what Gandhiji said. If God has to give me a reward, He must give me in the form of bread so that it will be more useful to the millions of our poor people. So that shows what our intention was in fighting for the independence of our country in bringing democracy in this country. But unfortunately, even after 39-40 years of independence, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes of this country are not getting social and economic justice. We must ponder over this matter very seriously. It is not the concern of any single Member or any single party; it is the concern of the entire nation it is important for the very survival of mankind. Unless we give that social and economic justice to the large masses of our country, our democracy cannot become strong. From that point of view this Bill brings a most realistic approach, a nationalistic approach to the upliftment of the depressed people. It is not merely a question of giving equal opportunities in Government service. In our State and in other States also we find people give advertisements for employment, but when application come they screen the applications and say

some of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes people are not suitable to the posts and that is why they cannot be called for interview. But in reality there are other ill-factors. The question is the basic thinking, the attitude, the tendency, of the individual should be changed. And for that purpose, whatever we have to do, we must do. The whole problem arises out of this thinking process. When man thinks in a narrow way, from a narrow angle, then his actions will be narrow, his aims and objectives will be narrow. Sir, now we have to remove this narrow thinking from the minds of the people of the country, from the mind of every individual of this country. And from that point of view, we have started several schemes. Now, we have started with the Navodaya Vidyalayas. But, I am afraid, the Navodaya Vidyalaya should not become another public school. It is not a question of giving representation to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is a question of providing equal opportunity which we have promised in our Constitution. In the Lahore Congress of 1930, Pandit Jawaharlal Nehru said that in India we want that independence where we create equal number of opportunities in the field of education, in the economic field, and in all other fields. And that much freedom we want in India. Still, we could not fulfil that. We have tried our level best. I am proud to say that about 60 per cent of our population has been brought above the povertyline. That is a good thing in a large country like India which is having a very huge population. The problems are not of today. The problems are there for centuries together. The problems of Chatur Varna have come. Though I am a very small man. I want to congratulate Dr. Babasaheb Ambedkar. Dr. Babasaheb Ambedkar was the second great man who was born after Gautama Buddha. When I was travelling in Japan, South Korea and the Philippines, I saw small people having the photographs of Babasaheb

Ambedkar behind the photos of the Buddha. They said that he was a great man after Gautama Buddha and that he had converted crores of people into Buddhism. It is not a question of conversion; it is a question of thinking. Babasaheb Ambedkar fought throughout his life for economic and social justice for the down-trodden people of the country, for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Sir, from that point of view, Babasaheb Ambedkar could create a new consciousness, a new awareness among the Scheduled Castes, who suffered and who were oppressed and suppressed for centuries together. And the very fundamental history goes back to Manu who had given the theory of Chatur Varna, and I do not know from which point of view he had given that theory. And it has become the biggest curse to his country, to the political, social and economic system of our country. And to revolt against that, Mahatma Gandhi started the movement in India. And we, who represent the younger generation, who represent the traditions of Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru have the supreme duty, the supreme responsibility to see that we must fulfil the dreams of the great national leaders like Gandhiji and Nehruji.

Sir, I am equally proud to mention here the name of our outstanding leader, the late Madam Indira Gandhi. Sir, Madam Indira Gandhi started with two important decisions. The first and the foremost decision that she had taken from the point of view of removing the economic disparities was the nationalisation of banks. And those 14 nationalised banks were kept imprisoned by the 14 industrialists of this country. And Madam Indira Gandhi opened the doors of those banks for the general masses and poor masses of the country. I do not say that we have fully achieved that goal. But I must definitely say that 60 per cent of the money has gone to the rural poor, to the urban poor, to the down-trodden peo

[Shri Vitthalrao Madhavrao Jadhav]

ple. And in that way the money which comes from the labour, the money which comes from the sacrifices of poor who shed their blood, is again going back to them. That is the greatest achievement of nationalisation of the banks. Another is the 20-point economic programme. We have formally said that it is the Bhagwad Gita for removing the poverty from the large masses of this country. When Madam Indira Gandhi raised her voice on behalf of the millions and millions of poor people of the rural India, so many monopolists, so many capitalists, so many Goebbles-type publishers stood against her. But Madam Indira Gandhi had a towering personality. Millions of people loved her because she had not only fought to remove the economic backwardness and to bring social justice for the masses but she also sacrificed her life at the end for the unity and integrity of the 3 00 P.M. country. That was the greatest deed of Mrs. Gandhi. We must pay our greatest tribute to the deed of Mrs. Gandhi. From that point of view I fully agree with the hon. Member, if any State is not having any reservation. I think we are having reservation. Maharashtra is having reservation. Uttar Pradesh is having reservation. And, it has been stated here that in Tamil Nadu we are having reservation for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in spite of that we are having 25 per cent of reservation for the Scheduled Caste children in Maharashtra for admission to medical colleges, to engineering colleges and for employment in Government also. And the Government of Maharashtra has given a strict warning to various departments that unless we get people from the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes we should keep those posts vacant and we should not fill those posts by non-Scheduled Caste people and I am sure this will have a great impact on this matter. I want that the whole

country should adopt this attitude. It is not a question of creating opportunities in Government employment alone. Sir, there are so many other fields of employment. There are so many public sector undertakings. One of the biggest sources of employment is the energy sector, the thermal power stations and the atomic energy power plants. Then we have the scientific laboratories also. Then there are so many big private companies, the multi-nationals and the nationals and there are also so many big industries. Only by creating jobs in the Government sector, our purpose will not be fulfilled. Now a time has come when we must see that this rule is implemented even in the private sector and we must tell them that they must necessarily fill up 25 to 30 per cent of the posts from the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates compulsorily. As I said earlier, it should be made compulsory in all the public sector undertakings.

Sir, for your information, I may tell you that for some time I was the Member-Secretary of the Maharashtra State Village and Khadi Industries Board. Before my entry on this board there was the common practice that they were just giving advertisements in the newspapers but not filling posts with the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates. They were not giving representation to the downtrodden classes and they were filling up the posts on the basis of influence. I raised a serious objection to this thing in the very first meeting and I told them, nothing doing, I will not allow this thing to happen, and told them that in the coming recruitment you must employ only Scheduled Caste and Scheduled Tribe people. Likewise it is not just a question of putting in circulars. It is not just a question of passing Resolutions only. It is a question that there is something mentioned in the Constitution and it is a question of our determination, of a particular individual who is working in any institution, who is working in any school who is working in a company or is

a industry, it is a question that he must be very conscious, that his mind should be very clear and he must be determined that social and economic justice should be given to all castes.

Sir, if you, ask me personally, I am against this thing. As such we are again encouraging the caste system in our country. But, Sir, there is no other go, because these people are depressed and suppressed for thousands of years together. Now we must find out some way we must bring them on a par with other people and then we must abolish all these rules and regulations which give reservation. Unless we create equal number of opportunities in education, in medicine, in administrative services we cannot say that we are encouraging the caste system or that we are creating confrontation in the society. I do not believe in that.

So, Sir the first thing is that we must give them justice. We must be very sincere in our approach to them. As in Parliament we have created different constituencies, in our Gram Panchayats we have got reservation if there are 100 people of Scheduled Caste population, we create two seats; for 10 voters—one seat. This is the position in Maharashtra. Similarly we can have this thing in other States also. There is nothing difficult. There must be a constitutional obligation and the Government of India must make it compulsory that these people, the downtrodden people, the people from different castes which are most backward, they must be given representation as per their population.

Having stated this, Sir, I am very much thankful to you for having given me an opportunity to speak on this Bill. I am very happy that my friend from that side has brought this Resolution and this is one of the very serious social problems which he has raised in this House, which is the greatest media of the national, and through this House it can reach millions and millions of this country.

And I think that the voice, the progressive voice, the voice for the progress of the downtrodden people of this country should be heard all over India and the Government of the various States and the Central Government must take proper cognisance of this Bill. Mr. Bhardwaj is here; he is a very progressive man and I suggest some comprehensive Bill must be brought so that social, economic and all other justice could be given to the people of this country.

Thank you.

**SHRI B. SATYANARAYAN REDDY** (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman the present Constitution Amendment Bill brought by my colleague and friend, Shri Rajangam, is very important and I fully support it. In the Statement of Objects and Reasons it has been stated that our Constitution provides for reservations with respect to elections to Lok Sabha and State Assemblies but there is no Constitutional provision as far as reservation to Panchayat and other local body elections are concerned. Therefore, through this Bill. It has been urged that there should be a Constitutional amendment to give Constitutional protection and Constitutional rights in the form of reservation of seats in Panchayat elections and local bodies elections. Therefore, this is a very important Bill. This section of the society, namely the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and also backward classes, have been suppressed both socially and economically, and also politically since days of British rule and they have not been given any rights, either political, economic or social. They have been suppressed. After Independence, we thought that in order to put an end to this inequality in the society and to bring people of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and backward classes, on par with others, there should be a provision in the Constitution. Therefore, our Constitution provided for reservations to these classes. I do not

[Shri B. Satyanarayan Reddy]

know why the founding fathers of the Constitution did not make a provision in the Constitution so far as reservations in elections to local bodies are concerned. Now it is time we must seriously consider about it. In many States, it has already been done. My friends have said that in Maharashtra, there is reservation to these sections in elections to local bodies in other States also, like Tamil Nadu, even in Andhra Pradesh there is a provision made for reservations to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and even the backward classes. In the coming Mandal elections in my State it has been decided—and the Government of India is in favour of it—to give representation by reservations to backward classes and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. It is, therefore, the duty of the Central Government to bring an amendment in Parliament. Unless there is a Constitutional amendment, it cannot be done. Therefore, I feel, that there must be a provision in our Constitution and it must be implemented throughout the country. So, there is urgent need to have a Parliamentary approval for this Constitutional amendment. My friend has suggested amendment of the Constitution after Article 333 of the Constitution Article 33A for added which reads: "Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in a Panchayat and other local bodies in rural areas, Taluka Board and Town Municipality and Municipal Corporation, Metropolitan city in every State." This is the amendment he wants to insert after article 333 of the Constitution. I think, there should not be any difficulty in accepting this amendment when the ruling party and the Government, day and night, take the name of Mahatma Gandhi who worked for the uplift of the downtrodden, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. He wanted that the whole country should become prosperous. He wanted that there should not be any discrimination between

man and man. He wanted that there should be a casteless society. Mahatma Gandhi was against the caste system. When you, day and night, take the name of Mahatma Gandhi, why should you go against his teachings, the concept of Ram Raj, which was dear to Gandhiji, in which all people get equal opportunities, economically, politically and socially? Therefore, I would request the hon. Minister to consider this very seriously and, if possible, accept the amendment now itself. If they are not prepared to do it now, they should themselves bring forward a Constitution (Amendment) Bill giving the reservations to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes in election to local bodies.

श्री धूलेश्वर मोणा (राजस्थान) :

आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, हमारे साथी श्री राजंगम जी, जो यह प्रस्ताव लाये हैं, उसका सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं यह अब तक समझ नहीं पाया कि क्या केवल संविधान के अन्दर संशोधन करके ही इस प्रकार का प्रावधान किया जा सकता है। विधि मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, वे अपने उत्तर में इस बात पर प्रकाश डालेंगे क्योंकि संविधान के अन्दर संशोधन के बिना ही जैसा हमारे पूर्व वक्ता महोदय बोल रहे थे और मैंने श्री रुद्र प्रताप सिंह जी से बात कर के पाया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में इस प्रकार के रिजर्वेशन पंचायत समितियों और पंचायतों के चुनाव के लिये हैं। तो मैं नहीं समझ पाया कि कौन से संविधान का संशोधन करके इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। इसलिये यह संशोधन करना संविधान में जरूरी है या नहीं। इसको हमारे विधि मंत्री जी अपने उत्तर में बतलायेंगे। लेकिन दूसरे स्टेट्स में जहाँ इस प्रकार का प्रावधान हो, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है, उन राज्यों को अपने यहाँ भी ऐसा करने का प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि देश की आजादी के बाद महात्मा गांधी ने एक आवाज उठायी थी कि देश के अन्दर रहने वाले डाउन-क्लासेस चाहे वह कोई भी धंधा करते

हों, हरिजन हों या वृषि का काम करते हों या आदिवासी हों, कोई भी हों, सभी वर्ग के लोग जब तक एक समान स्तर पर नहीं आयेंगे, देश का विकास नहीं होगा। यदि देश में फिरकापरस्ती होगी, भेदभाव होगा, तो देश की उन्नति नहीं होगी। इसी प्रकार से पं० जवाहर लाल नेहरू ने और हमारी इन्दिरा गांधी जी ने भी इसके लिये काम किया। डा० अम्बेडकर ने भी इसके लिये काम किया। तो मैं चाहता हूँ कि आज देश की आजादी को चालीस साल होने आये है, मैं इस और नहीं जाना चाहता कि किस विशेष जाति के लिये रिजर्वेशन किया जाना चाहिये या नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि देश की उन्नति के लिये हमें काम करना है और उसके लिये न हमारे सामने कोई कास्ट है, न कोई क्रीड है और न उसमें किसी तरह का जातिवाद है। सबको लेकर हमें एक साथ चलना है। जिस प्रकार का बिल हमारे साथी लाये है, अगर मंत्री महोदय जरूरी समझें तो इस प्रकार का बिल वे ला सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने निवेदन किया, स्टेट्स में इस प्रकार का प्राविजन पहले से ही है।

श्रीमन्, जहां पर आदिवासियों और हरिजनों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां पर जो स्थिति है, उसमें तो रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जहां पर नहीं है, वहां पर उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। यह बात हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि हर पार्लियामेंट या ऐसम्बली में या पंचायतों में कौन सा आदमी है जिसका प्रभाव ज्यादा है और वहां जीत सकता है, यह हम लोग जानते हैं। इसलिये जिनकी जहां पर जनसंख्या बहुत है, जिसकी मेजारिटी है, वहां पर जो रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने से वह अपने आप जीत जाता है। लेकिन आजकल यह जरूर होने लगा है कि शैड्यूल कास्ट के लोग ज्यादा जीतकर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि कुछ पैसे वाले लोग कुछ लोगों को पैसे देकर वोट्स को खरीद लेते हैं और ये लोग वोट

खरीदकर दूसरे लोगों को जिता देते हैं। इसी प्रकार से पंचायतों में, ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों में भी जहां-जहां मेजारिटी हो, वहां उन के आदमी होने चाहिये और वे वहां पर जीतते भी हैं।

उपसभाध्यक्ष जी, मुझे याद है कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन में थे, तो इस प्रकार के रिजर्वेशन के लिये एक अडचन होती थी। जहां पर बहुत ज्यादा वैकेंन्सीज हों, वहां पर तो परसेंटेज के अनुसार पोस्टें भर जाती हैं, लेकिन जहां पर चार पांच या छः पोस्टें ही हों, वहां पर अगर कोई शैड्यूल कास्ट का कैंडिडेट मैरिट में आ गया और उसका नाम ऊपर आ गया और बाकी पोस्टों के लिए हम रिजर्वेशन को कोटा लागू करें, तो सारी की सारी पोस्टें चली जायेंगी। ऐसी हालत में हमको नान-शैड्यूल कास्ट लोगों के लिए रिजर्वेशन करना पड़ेगा। इसलिए जहां मेजारिटी हो वहां पर रिजर्वेशन के जरूरत नहीं है। इसके लिए वास्टिड्यूशन में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाहता हूँ कि जहां पर इस प्रकार के जरूरत समझें तो उनके लिए मंत्रों की बिल ला सकते हैं और आज जो यह हवा चल रही है उसको रोकने का कोशिश करें। आज संविधान में जो प्राविजन किया हुआ है, उसके अन्दर हमारे लोक सभा में 74-75 सांसद हैं और करीब 38-40 शैड्यूल ट्राइब्स के मम्बर हैं। इसी प्रकार से हर ऐसम्बली में और दूसरी बाडीज में है, सहकारी समितियों में है, पंचायतों में है। जहां पर इस प्रकार की स्थिति नहीं है, वहां पर जरूर रिजर्वेशन होना चाहिये। इसलिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान जैसे आदिवासी क्षेत्र मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या बिहार में जहां शैड्यूल ट्राइब्स के लोग ज्यादा हैं, वहां पर पंचायतों में भी इस प्रकार का प्राविजन किया जाना चाहिये। जहां पर शैड्यूल कास्ट की मेजारिटी हो, वहां पर इस प्रकार का प्राविजन उनके लिये किया जाना चाहिये। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ।



**SHRI P. BABUL REDDY** (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I think you for having given me the opportunity to participate in this Bill. At the outset, I congratulate my friend Mr. Rajangam for having moved this Bill.

Sir, in this land of ours where Mahatma Gandhi and Buddha walked, it is a sad thing that certain sections of the people were suppressed for centuries. We believe in an egalitarian society. That is, equality is the foundation. Sir, if reservation is not given to those who have been suppressed for centuries and all of them are asked to run the race on an equal footing, equality will only be theoretical. To be practical, those who have suffered for centuries should be given a helping hand to join the mainstream. It is in that spirit that in the Constitution, our Founding Fathers have provided for reservation of seats for Parliament and also in the State Assemblies under Art. 33.2. I do not know the reason why and how our Founding Fathers missed to provide a similar provision for the local-self-governments. It is there so far as Central Government, Parliament, State Legislatures and State Governments are concerned. So also the local-self-government bodies like Panchayats, municipalities or Zilla Parishads are equally important. They are at the grass roots' level. So there should have been such a provision in that article of the Constitution itself. Perhaps the Founding Fathers trusted the wisdom of our people in the States. Since it is a State subject, that they would provide for it.

I must also congratulate that many of the States have taken this view and made provision for this in the local bodies—Panchayats, Panchayat Samitis etc.—and some of them have overdone also. I would like also to say a word about it a little later.

Sir, in the reservation, a great thought has to be put into it. These reservations have led to lot of conflicts and fights in many States when

reservation for the backward classes was provided. Most of the States now have provided for reservation for the backward classes also in education, in appointments etc. But I do not know why the Central Government is not thinking about it. Recently in Andhra Pradesh, when the reservation for backward classes was hiked from 25 per cent to 44 per cent, there was a big agitation and the Government had to go back. I am not saying whether that hike is good or bad. It is not my province to say so. But what I want to emphasise is that a national debate on these reservations is very much needed. I would like to suggest even a Parliamentary Committee of both the Houses to go into this matter deeply and find out a proper solution so that recommendations can be made for passing a suitable legislation, because it is a very serious topic. But here what I want to say for the present is that some sections of people are trying to create a vested interest in backwardness. For example, recently we have seen in Karnataka that Vokkaligas and Lingayats have vied with each other to call themselves backward. Originally perhaps to call oneself as backward was a thing which one did not take pride in. There is no need to take pride or to feel ashamed of it. We are taking things as they are. We are trying to remedy the injustice that was done for centuries by providing for reservation, so that that section of the people will also come into the mainstream of the nation. Twenty per cent of the people in our country belong to scheduled castes and scheduled tribes. So necessarily depending upon the population of that village or panchayat or mandal, reservation should be made. That is why I am supporting it. The only thing is the language employed. It should not be "in a panchayat" but in every panchayat—just like in the language of the Constitution which says "in every State"—there should be reservation. Likewise, it should be in every panchayat, in every municipality and so on. This is what the language should

be. That is a very simple thing. No doubt the meaning is clear—"Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in a panchayat and other local body in rural areas..." But it should be in every panchayat and other local bodies in the rural areas and every municipality, etc.

Here I want to make one point. Of course, as I said, many of the States are already reserving seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in panchayats, mandals and zila parishad. But they are committing a mistake there. This matter was questioned in the Andhra Pradesh High Court and the Andhra Pradesh High Court negated the contention. But still I feel that if the matter is taken to the Supreme Court, the result may be different. So far as Mr. Rajangam's Bill is concerned, seats can be reserved; it is all right. But what they are doing is, where there is a single post of sarpanch or chairman of municipality or chairman of zila parishad, they are reserving these single posts also. I may give the example of Andhra Pradesh. In Andhra Pradesh there are 23 districts and there are 23 posts of chairman of zila parishad. But, there, in each district a citizen can compete only for that zila parishad. For example, a Nellore man cannot compete for the Srikakulam post. What they are doing is, out of 23 posts, because 20 per cent are reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, they are reserving five for Scheduled Castes and two for Scheduled Tribes. They take those districts and reserve them. This is bad, because the Supreme Court has held that if there is only one post you cannot reserve that post. For example, the post of President of India, is only one. If there are ten posts of President of India, five can be reserved. Likewise, for a municipality there is only one chairman. That post you can't reserve for a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe. Not that I am saying anything against the in-

terests of these classes, but what we do should be reasonable. If there are 30 seats in a municipality, you can reserve ten of them; good. Now the Karnataka Legislature has passed a law reserving 25 per cent of the seats for women in all the panchayats and in all the bodies of local self-government. That also should be added. I would suggest that as and when our Law Minister brings out an amendment in this direction, this should be done to take care of the interests of women as is done in Karnataka State. Of course, now there are only two women Members present here. They have been claiming that they are more than 50 per cent of the population. Of course, reservation proportionate to their population can be given, but 25 per cent is a fairly reasonable figure and such a thing can be thought of.

So, I once again suggest that these reservations which are given only as a helping hand should not be overdone and a situation where a single post is reserved should not be brought about. Therefore, serious thought should be given to this. I would ask the honourable Minister to bear that in mind whenever he brings a comprehensive Bill and see that where there is a single post it is not reserved. Thank you.

**SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:** Sir, I am not going to make any statement but I am on a point of clarification.

**THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE):** I was thinking you will rise for it.

**SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:** Sir, Mr. Babul Reddy has said that the present system prevailing in Andhra Pradesh about reservation making a single seat in Zilla Parishad Chairman in three or four districts is bad. In this connection I would like to inform you that though the major-

[Shri B. Satyanarayan Reddy]  
 rity of the districts which have got the majority of this population...

SHRI P. BABUL REDDY: Not majority, higher population. (*Interruptions*)

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Higher population of the area should be taken into consideration. Now they are thinking of a rotation system, as the Mover has said. Further I would like to inform the House that a cabinet Sub-Committee has been constituted by the Government to go into the whole issue and to recommend a suitable reservation system so that there is nothing bad. So far as the present Government is concerned, it has taken a right stand to give proper representation to all sections of the people.

SHRI P. BABUL REDDY: I have also said that the Andhra Pradesh High Court has upheld it.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BAPU KALDATE): Thank you, both of you. Mr. Vaduthala.

SHRI T. K. C. VADUTHALA (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion on this very important Bill moved by our hon. Member, Shri Rajangam.

This Bill seeking to insert a new article, article 333-A, in the Constitution of India, is of special importance in the case of a large number of people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

The founding fathers of the Constitution were well aware of the disabilities of these sections of the people, and hence they made a special provision with a view to facilitate the implementation of various programmes so as to bring them in the main stream of the society. Sir, reservation of seats to the Lok Sabha and the Legislative Assemblies of the States have been made in the Constitution in order to give them opportunity participate in the process of shaping the nation. But similar provisions in res-

pect of representation in the local bodies and municipal councils were not made, leaving the responsibility to the discretion of the respective State Governments. Since I am from Kerala, I know fully well that reservations of seats in the panchayats and the municipal councils do find a place in our States. And such other States which who desire so, could normally follow suit. Not only has reservation been made for panchayats and municipalities, but also for cooperation directors' board reservation has been made for the Scheduled Castes as well as female member.

The present amendment of the Constitution proposed by the hon. Member is to insert the following article, namely:

"333A. Seats shall be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in a panchayat and other local body in rural areas, a taluka board, a town municipality and a municipal corporation in a metropolitan city, in every State."

Article 333 of the Constitution clearly indicates that if the Head of the State is of opinion that the Anglo-Indian community of that State has not been adequately represented in the Legislative Assembly, that authority may nominate one member of the community to the Assembly. Similarly, in the case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes reservation facility can be made by the State Government in the panchayats and municipal councils since it comes under the purview of the State Government.

It is most unfortunate that even after 38 years since independence, the Scheduled Castes in certain parts of our country still suffer from the stigma of untouchability. The atrocities committed against them generally arise out of the practice of untouchability. The Report of the Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, 1985-86

reveals that the main causes of the atrocities on the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes have roots in the socio-economic position. They own very small assets, and most of them are below the poverty line in their economic status. Always there will be disputes regarding Government-owned waste lands or ceiling on surplus land allotted to them. It is pointed out that when these sections try to take possession or cultivate or retain possession of such land, powerful vested interests try to obstruct them. Naturally, this leads to social tension. So, Sir, social tensions are on the increase as people fight over the scarce natural resources which were once used by definite occupational sections under the caste system in India. The caste system determined human-beings occupation. Within the caste system, birth determines a human being's place in the society, says Manu, the law giver of ancient India.

In lecture No. 1, Stanza 31 of the Laws of Manu, it is said as follows:

"Now for the prosperity of the world he from his mouth, arms, thighs and feet created the Brahman, Kshathbriya, Vaisya and Sudra."

These are the traditional four castes, popularly known as Chathurvarna. Of course, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes do not come under the definition. But Manu, the law giver of ancient India, had been kind enough to classify a large number of people outside the four-fold castes as mixed castes and classes. Innumerable castes thus came into existence and the law-giver has heaped upon them all sorts of disabilities and inequalities. I do not wish to go deep into Manusmrithi, yet I would like to mention here that the influence of Manu is still in force on the Hindu mind and hence these social tensions in India are on the increase.

Thereafter, Bhagwan Sri Krishna said in Bhagwath Geetha:

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं  
णकर्म विभागज्ञः  
तस्य वर्तस्यपि मां  
विद्वय कर्तारमव्यय

(The four-fold caste has been created by me according to the differentiation of Guna and Karma. Though I am the author thereof, know Me as non-doer and immutable.)

Even though the creation was according to the Guna and Karma, the lovers of Caste system upheld the first stanza of the Sloka alone in favour of them.

During the independence struggle and even before that eminent leaders of India i.e. Mahatma Gandhi, Dr. Ambedkar and a host of others dedicated their lives for the eradication of the stigma. In independent India, various legislations have destroyed the power of ancient caste system. Unfortunately, the caste system still continues even after losing its resource partitioning.

With a growing social awakening and efforts made by scheduled castes to get their rightful place in the society, they have been victims of harassment and atrocities by the vested interests. Various welfare activities undertaken by the Government for the all round progress of Scheduled Castes and Scheduled Tribes derive inspiration from the provisions of the Constitution. The safeguard measures visualise basically as creative and rehabilitative. There has, however, been phenomenal transformation in their complexion and quality over the years. Accordingly, the premium now has been switched to development. Involvement of the people of all sections with divergent views based on their experience is significant for the speedy implementation of programmes. Our successive Five-Year Plans have brought out considerable results in the case of the economic status of every section of the people.

[Shri T. K. C. Vaduthala]

But the benefits of growth and progress have not percolated to many a section of the masses; so that poverty can be eradicated as envisaged in our national plan. An abiding concern for equity and social justice was a distinctive feature of the national movement.

Mahatma Gandhiji and Pandit Jawaharlal Nehru emphasised that political freedom would acquire its true significance only if it helped to remove the poverty which afflicted a majority of Indian people. Majority of our people live in rural areas and the development activities in such areas are implemented through local bodies. Therefore, representation in such bodies for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will help for a speedy implementation of the programme. This will also help to remove the social tensions caused by economic and social inequality. Therefore, this amendment is felt essential one and its impact on the downtrodden people of India will surely bear fruits.

With these words I congratulate the Member for having brought such an important amendment to the Constitution and wholeheartedly support this Bill.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Sir, I rise to support the Bill brought forward by the hon. Member, Shri N. Rajangam. The fundamental idea behind this Bill, to my mind, seems to be that the ideas of the framers of the Constitution should percolate down to the lower strata also. It is obvious that what is sauce for the gander is sauce for the goose. If the reservation has been accepted by the founding fathers of our Constitution for the purposes of Legislature and for the purpose of other things, it is relevant that the reservation policy should also apply to the lower strata, that is, local bodies—municipalities and zilla parishads. If I go by the speeches made by our hon. Prime Minister during the recent past in the

consultative committee meetings attached to the Ministry of Planning Commission wherein I am also a member, on more than two occasions he has very categorically stated that all the benefits that accrue from the Constitution should percolate to the grass root level also. In line with the thinking of Shri Rajiv Gandhi, I think that this Bill seeks to percolate that benefit which is available to the States to the lower strata of our local bodies also. Obviously if there is no reservation in the zilla parishads, panchayats and municipalities, it is difficult for us to say that we should have reservations only in Legislative Assembly and the Parliament. It is a natural corollary to the fundamental principle accepted by the founding fathers of our Constitution that the reservation policy must percolate to these bodies too. I congratulate Shri N. Rajangam who has brought to the notice of the Government this very important facet of our life. Now the hon. Minister may say in his reply perhaps that it is a State subject and the States have got to do it. Now, in the first instance Mr. Rajangam has not brought an ordinary Bill. If he had brought an ordinary Bill, I can understand the logic of the hon. Minister, if this is what he has in mind, that it is a State subject and the States have to do it. But Mr. Rajangam has brought it as a constitutional amendment. What is a constitutional amendment? A constitutional amendment means that the States are aparty to the proposed change in the Constitution and that will apply to them also. So by bringing this as a constitutional amendment, the difficulty that this is a State subject and this should be done by the States is clearly obviated. I hope the hon. Minister will react favourably to the proposal unanimously being expounded in this House and bring forward a comprehensive Bill as soon as possible so that the benefits of reservation go to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the corporations, municipalities, zilla parishads and panchayats. I agree with Mr. Babul Reddy that where there is a single post it cannot

be reserved. The post of President of the municipality of President of the zila parishad or President of the panchayat cannot obviously be reserved because it is the pool of the entire community that has to elect the single individual and you cannot restrict it to a particular community. Sir, as I see it in my experience, the spirit behind this reservation does not percolate to the villages. In the villages, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are really what I may call "ghulams" of the other castes. An that "Ghulamiat" can be mitigated only if there is a provision that they will have representation in the panchyats, zila parishads and other local bodies. That can only be brought about by a constitutional amendment of this kind. The hon. Minister, I know, is a very broad-minded person. There have been occasions when certain issues were brought to the notice of the Government through private Members Bill and great changes had been brought about by the Government itself. I recall in this connection the Privy Purses Abolition Bill. It was a Private Member's Bill which was brought. The Government later took it up and brought forward their own Bill. I think in the same spirit this Bill will also be taken by the Government. India will survive only if democracy, at every level, percolates down to the grass-roots. And if democracy has to percolate to the grass-roots, then the principle of reservation, which has been accepted in the case of Parliament and legislatures, should be accepted in respect of municipalities, panchayats and other local bodies. I hope the hon. Minister will react favourably to our request and bring forward a comprehensive Bill, if there are any constitutional difficulties, I hope he will try to overcome them so that this becomes a reality.

I wish to congratulate Mr. Rajangam for bringing this Bill. The lone voice that he has raised has been supported unanimously by all the speakers so far. I hope it will gather strength and will be heard by our

dynamic Law Minister and it will not be long before a comprehensive Bill is brought before this House, preferably in the next session of Parliament. Thank you.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) :  
 आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र श्री एन० राजंगम ने जो यह विधेयक माननीय सदन में लाया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इसके उद्देश्यों में कहा गया है—हमारे देश में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन के लिये कतिपय निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित किये गये हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु ऐसा किया गया है। तथापि, देश में स्थानीय निकायों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये ऐसा कोई आरक्षण उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के संगठन अपनी जनसंख्या के आधार पर ऐसा आरक्षण किये जाने की मांग करते रहे हैं। अतः जहाँ कहीं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के मतदाता बहुमत में हैं, वहाँ ऐसे निर्वाचनों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिये स्थानों के आरक्षण को जोरदार आवश्यकता महसूस की जा रही है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि आजादी की लड़ाई के दौरान हमारे देश के स्वतन्त्रता संग्राम सैनानियों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने का और उनको राजकाज में हिस्सेदार बनाने का संकल्प लिया था और आजादी की लड़ाई के दौरान हमारे देश के नेताओं ने जो आजादी के संघर्ष में फँसले लिये थे उन्हीं फँसलों को उन्होंने संविधान में मूर्त रूप दिया। उसी मूर्त रूप के तहत हमारे देश की पिछड़ी जातियों—अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिये रिजर्वेशन के सिद्धांत

[श्री कल्पनाथ राय]

को स्वीकार किया गया। आज मैं इस सदन के माध्यम से इस देश की महान नेता और भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को बधाई देना चाहता हूँ कि सन् 1980 में... (व्यवधान)...

श्री गुलाम रसूल मट्टू : कल्पनाथ जी, बधाई की जगह श्रद्धांजलि कहिये...

श्री कल्पनाथ राय : श्रद्धांजलि नहीं, उनको इस बात के लिये बधाई, इस बात के लिये शुभ कामना कि सन् 1980 में, जब आरक्षण खत्म हो रहा था और जनता पार्टी सत्ता में थी, जनता पार्टी का यह मनसूबा था कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाये, उस जनता पार्टी की सरकार में सारे हिन्दुस्तान के विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग सम्मिलित थे, तब 1980 में जैसे ही श्रीमती इन्दिरा गांधी सत्ता में आयीं, इस संसद् में पहला कानून और पहला बिल जो पास किया और जिस पर 13 विधान सभाओं ने भी मोहर लगाई, वह रिजर्वेशन का था। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने रिजर्वेशन को असली जामा पहनाया था, 1980 में। तो कांग्रेस पार्टी, जो आजादी की लड़ाई में अग्रणी रही है और जिसने आजादी की लड़ाई के दौरान ही हिन्दुस्तान को मजबूत बनाने के लिये, आर्थिक उत्पीडन को समाप्त करने के लिये, सामाजिक उत्पीडन को समाप्त करने के लिये जो संकल्प लिया था, सत्ता में आने के बाद माननीय अम्बेडकर साहब, जो गरीबों के मसीहा थे, उनके नेतृत्व में भारत का संविधान बनाया गया। यह संविधान हिन्दुस्तान के सबसे बड़े अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मसीहा अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में ही बना है और इस संविधान के तहत माननीय अम्बेडकर साहब ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण प्रदान किया है और इसको पूरे भारत के उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम के सारे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों ने कंस्टीट्यूट असेम्बली में स्वीकार किया गया।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इससे भी बड़ी बात श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाती है, जिन्होंने जनता पार्टी के उन मनसूबों को सफल नहीं होने दिया जिसके तहत वे आरक्षण के सिद्धांत को खत्म करने वाले थे। सन् 1980 में सत्ता में आने के बाद सबसे पहले हमारी पार्टी ने इसी कानून को बनाया और अनुसूचित जातियों / जनजातियों को संरक्षण प्रदान किया।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे भारत के संविधान में भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ दी कंस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है :—

“The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may be social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life.

“The State shall, in particular, strive to minimise the inequalities in income and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals, but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations.

“The State shall, in particular, direct its policy towards securing—

(a) that the citizens, men and women equally, have the right to adequate means of livelihood;

(b) that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;

(c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment;

(d) that there is equal pay equal work for both men and women;

(e) that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength;

(f) that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment."

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और नीति-निर्देशक तत्वों में भारत की जनता को और कमजोर वर्गों को आरक्षण प्रदान करने की बात कही गई है। जिन-जिन राज्य सरकारों ने आरक्षण प्रदान कर दिया है—बहुत से स्टेट सबजेक्ट हैं, बहुत से सेंट्रल सबजेक्ट हैं—उनसे मैं अपील करूंगा कि वे अपने-अपने प्रांतों में लोकल बाडीज में जहां आरक्षण नहीं है वहां आरक्षण प्रदान करें। यह सवाल पूरे देश का है। आपको याद होगा दुनिया के बहुत से देशों में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई, उन्होंने रोटी की गारन्टी तो दी मगर राजनीतिक अधिकार में हिस्सेदारी नहीं दी। लेकिन हिन्दुस्तान में क्रांति करने वाले महात्मा गांधी और जवाहरलाल के नेतृत्व में हमने समाजवाद की बात नहीं की कि हम समाजवाद लाएंगे और हिन्दुस्तान से गरीबी हटाएंगे, बल्कि हमने पोलिटिकल राइट की गारंटी की कि हिन्दुस्तान की संसद में, लोक सभा में, राज्य सभा में, विधान सभाओं में पोलिटिकल राइट हम वीकर सेक्शनस को देंगे, अनुसूचित जातियों को देंगे, जनजातियों को देंगे। और जब तक उनके हाथ में राजनीतिक अधिकार नहीं आते तब तक आर्थिक क्रांति के सपने को साकार रूप नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि हिन्दुस्तान की क्रांति ने जनतंत्र के साथ समाजवाद और समाजवाद के साथ जनतंत्र के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था। लेकिन आज देश को हालत क्या है। हिन्दुस्तान में 75 परसेंट दौलत धरती के नीचे दबी

हुई है। दुनिया का सबसे संपृद्धशाली देश हिन्दुस्तान है लेकिन आज दुनिया का सबसे गरीब देश है क्योंकि धरती के नीचे जो 75 परसेंट दौलत है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जिस दिन हिन्दुस्तान अपनी धरती के नीचे की 75 परसेंट दौलत का इस्तेमाल करना सीख जायेगा उस दिन हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे दौलतमन्द देश बन जायेगा। धरती के नीचे 75 परसेंट दौलत अनयूटिलाइज्ड पड़ी है और धरती के ऊपर 75 परसेंट हरिजन-गिरिजन, अनुसूचित जनजाति, वीकर सेक्शनस हैं जिनकी शक्ति का जितना इस्तेमाल होना चाहिए था भारत के आर्थिक और राजनीतिक विकास में वह नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि उनकी पूरी शक्ति का इस्तेमाल हो ताकि हिन्दुस्तान आर्थिक दृष्टि से भी शक्तिशाली बने और राजनीतिक दृष्टि से भी शक्तिशाली बने। मगर यह काम कोई जादू की छड़ी से नहीं हो सकता। एक दूसरे को आलोचना करने से भी नहीं हो सकता। यह काम तब होगा जब सारे देश के लोग सरकारी पक्ष से लेकर विरोधी पक्ष के लोग—कंधे से कंधा मिलाकर भारत के विकास को मद्देनजर रखते हुए भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए विचार करेंगे, सोचेंगे और अपने विचारों को अमली जामा पहनाएंगे।

4.00 P.M.

आज मैं कहना चाहता हूँ कि भारत की गुलामी का कारण क्या रहा? इतिहासकारों ने लिखा है कि हम पानीपत में हारे। लिये हार गये कि हमारी सेना के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। हिन्दुस्तान बराबर विदेशी हमलावरों के सामने हारा उसका कारण यह रहा है कि भारत में मुट्टो भर लोगों ने जिन के हाथ में मुकद को हुकूमत थी उन्होंने विदेशी हमलावरों का मुकाबला किया और आम जनता ने उनको सहयोग नहीं दिया। यही कारण था कि बार-बार विदेशी हमलावरों के सामने हिन्दुस्तान पराजित होता रहा। चाहे पलासी की लड़ाई हो या पानीपत की लड़ाई हो या सिरन्दर का हमला हो उन के सामने बार-बार हिन्दुस्तान पराजित होता रहा केवल इस लिये कि मुट्टो भर शासकों ने अकेले विदेशी हमलावरों



[श्री वत्पनाथ राय]

का मुकालबा किया और विदेशियों ने उनको पराजित कर दिया और भारत की जनता का, ग्राम जनता का सहयोग यहां के शासकों को नहीं मिला। भारत की जनता उस के प्रति उदासीन रह गई। विदेशी हमलावरों के सामने जब तक देश की जनता की उदासीनता खत्म नहीं होती तब तक हम सजग और सचेत राष्ट्र नहीं बन सकते। इसीलिये महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई के दौरान ही, उन्होंने और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने मिल कर फैसला किया कि आजाद भारत में हम देश की करोड़ों करोड़ जनता के साथ एक ऐसी राजसत्ता बनायेंगे कि जिस में यहां की सारी जनता पाटिसिपेट करेगी, देश के करोड़ों करोड़ लोग राज्य को बनाने में हिस्सेदारी लेंगे और देश के करोड़ों लोगों के हित में जब राजसत्ता काम करेगी तब इस जनता की विदेशी हमलावरों के प्रति उदासीनता खत्म होगी और उस समय जब विदेशियों का हमला होगा जो भारत की जनता एक चट्टान की तरह से उन के सामने खड़ी होगी और फिर भारत हार नहीं सकता है। यह बुनियाद है भारत की ग्राम जनता की उदासीनता को खत्म करने की। इसके लिये ही हम ने हिन्दुस्तान में जनतंत्र की स्थापना की, यहां समाजवाद की स्थापना की और संकल्प किया इसके लिये। आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े नेता कल नहीं रहेंगे, लेकिन भारत देश जिन्दा रहेगा। इस को जिन्दा रखने के लिये जरूरी है कि देश के पिछड़े वर्गों को, वीकर सेक्शन को, अनुसूचित जाति और जन जातियों को, जिन की राज काज में हिस्सेदारी नहीं है उन को राजकाज में हिस्सेदारी देने के लिये हम प्रयास करेंगे। यही महात्मा गांधी का अरमान था। देश के हरिजन, गिरिजन, आदिवासी, देश में 10,20 करोड़ जिन की जनसंख्या है वह हिन्दुस्तान की रीढ़ हैं। अगर रीढ़ ही नहीं रहेगी तो इंसान कभी जिन्दा नहीं रह सकता है। यह धरती की रीढ़ की हड्डी है। यह टूट जायेगी तो यह शरीर काम नहीं कर सकता है। इस लिये हिन्दुस्तान को जिन्दा रखने के लिये पिछड़े वर्गों, हरिजन और आदिवासियों को, महिलाओं

को राजकाज में हिस्सेदारी देने का सिद्धांत स्वीकार किया गया।

हमारे संविधान में यह लिखा हुआ है कि हम ग्राम पंचायतों का संगठन करें। राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिये कदम उठायेंगे और उन को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान किये जायेंगे कि उन को शासन की इकाइयों के रूप में काम करने के योग्य बना दिया जायेगा। देश के संविधान के नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है कि हम देश की पंचायतों को ऐसे आंगनाइज करेंगे कि जिससे :

“The State shall take steps to organize Village Panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.”

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के नेता श्री राजीव गांधी ने भारतीय कांग्रेस पार्टी के संविधान के तहत इन पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने का संकल्प दोहराया है और मैं चाहता हूं कि हमारे पंचायत राज के जो मंत्री हैं वे इसको मानें कि जो विरोधी पार्टी के नेताओं ने मांग की है कि जैसे पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, वैसे स्टेट असेम्बलीज के चुनाव होते हैं वैसे ही संविधान में इस प्रकार का संकल्प वे करें कि ब्लेज पंचायत के चुनाव 5 साल में होंगे, जिला पंचायत के चुनाव 5 साल में होंगे। पांच साल में विधान सभाओं और पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं। जैसे असेम्बलीज और पार्लियामेंट के चुनाव संविधान में मैडेरी हैं वैसे ही जिला पंचायतों और गांव पंचायतों के चुनाव मैडेरी बनाये जाने चाहिये। यह केवल डाइरेक्टिव प्रिंसिपल आफ दि कांस्टीट्यूशन के अन्दर ही नहीं आना चाहिये बल्कि इसके लिये स्टैच्युटरी व्यवस्था की जानी चाहिये कि यह चुनाव अनिवार्य रूप से हों, चुनाव कराने ही चाहिये। ग्राम पंचायतें, जिला पंचायतें, प्रांतों की पंचायतें, दिल्ली की पंचायतें, इन चार पंचायतों को स्टैच्युटरी पंचायतें बनायेंगे जब इनके लिये मैडेरी प्रावजन संविधान में करेंगे और उनको पावर्स देंगे, डिस्ट्रिक्टाइजेशन आफ इकानामिक पावर्स होगी, डिस्ट्रिक्टाइजेशन आफ पोलिटिकल पावर होगी, जब हम आजादी की लड़ाई को सामने रखेंगे तब हम तीसरे विश्व का निर्माण कर सकेंगे।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ग्राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। ग्राम स्वराज्य की कल्पना भी महात्मा गांधी ने की थी। वह सपना तब तक साकार नहीं होगा तब जब तक हम ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के चुनाव को संविधान में मैडेटरी न करें चौखम्भा राज्य की स्थापना न करें। भारत की करोड़ों करोड़ जनता और भारत का इतिहास आपको मुबारकबाद देगा भारद्वाज जी, यदि आप इस काम को करने में कामयाब हो सकें।

श्रीमन, अभी प्रधान मंत्री जी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम जिला पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देंगे। यह कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में है। यह चुनाव घोषणापत्र ये है जिसके माने हैं कि जनता की अदालत में दिया गया एक हलफनामा। An election manifesto is an affidavit in the court of the people.

जनता की अदालत में हमने हलफनामा लिया है कि हम जिला पंचायतों और गांव पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देंगे। जैसे पार्लियामेंट का चुनाव पांच वर्ष के बाद होते हैं, वैसे ही संविधान के अन्दर स्टेच्युटरी प्राविजन कीजिये कि पंचायतों के चुनाव भी 5 साल के अन्दर होंगे, ग्राम सभाओं के चुनाव भी 5 साल के अन्दर होंगे। उनको अपना बजट बनाने और पैसा खर्च करने का अधिकार होना चाहिये।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय जैसे, लोक सभा में आपने आरक्षण दिया है, जैसे विधान सभाओं में आपने आरक्षण दिया है, वैसे ही हरिजनों को ग्राम सभाओं में, ग्राम पंचायतों में और जिला पंचायतों में भी आरक्षण दिया जाना चाहिये। यह तभी संभव होगा जब कि संविधान में इसके लिये मैडेटरी प्राविजन आप करेंगे।

श्रीमन्, भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत ने समाजवाद का संकल्प लिया, यह ऐसा संकल्प है जो दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलता है। एक तरफ दुनिया में पूंजीवादी राष्ट्र हैं जिनकी अर्थव्यवस्था शोषण पर आधारित

है, जो पूंजीवाद की स्थापना दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं, दूसरी तरफ समाजवादी देश हैं जो समाजवाद की बात करते हैं और उसकी स्थापना करना चाहते हैं। मगर हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है जिसने जनतंत्र के साथ साथ समाजवाद की स्थापना करने का निर्णय किया है। समाजवाद के साथ जनतंत्र की कल्पना की है। हिन्दुस्तान में यह नया एक्सपरिमेंट है जो दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देता है। हिन्दुस्तान में यह सफल होगा तो दुनिया को भी इस सिद्धांत को स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि साम्यवाद का सिद्धांत अपूर्ण है और पूंजीवाद का सिद्धांत शोषण का है। इसलिए हमने पूंजीवाद और समाजवाद की गूदगूदी गोदी से हटकर तीसरे सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसमें मन की आजादी के साथ पेट की आजादी भी होगी। रूस की हुकूमत ने पेट की आजादी दी पर मन की आजादी पर नियंत्रण किया है, अमरीका ने मन की आजादी की गारन्टी की तो पेट की आजादी की कोई गारन्टी नहीं दी। भारत ने मन की आजादी के साथ-साथ पेट की आजादी भी देने का संकल्प किया है। India will be a democratic, secular and socialist republic.

हमारे विरोधी लोग बतायें कि दुनिया में किसी संसदीय प्रणाली में, किसी राजकीय प्रणाली में ये गारन्टियां हैं जहां सेक्युलरिज्म के साथ समाजवाद और डेमोक्रेसी की बात की गई हो, जिसके प्रिंखल आफ दि कांस्टीट्यूशन में डेमोक्रेटिक सेक्युलर और सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाने का संकल्प किया गया हो। हमने समाजवाद और जनतंत्र की स्थापना करने का निर्णय लिया। मगर यह निर्णय तभी सफल होगा जब हम इस पर ईमानदारी से व्यावहारिक रूप में अमल करें। हिन्दुस्तान एक विकासशील देश है। 30वें अक्षांस के उत्तर में रहने वाले देश जो हैं, पश्चिमी देश जो हैं, जो वैभव संपन्न देश हैं जो सारी दुनिया के लिये शोषण कर रहे हैं और अपनी संपन्नता बनाये हुये हैं और औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाये हुये हैं वे 30वें अक्षांस के दक्षिण में रहने वाले मुल्कों का शोषण कर रहे हैं। दुनिया में दो महायुद्ध हुए हैं। उन दो महायुद्धों से दो चीजों को जन्म मिला है। एक तो गरीबी और भुखमरी को और दूसरा गुलामी को।

[श्री कल्पनाथ राय]

इनसे मुक्ति दिलाने का हमारी आजादी की लड़ाई का सपना रहा है। जो हमारे मित्र यह बिल लाये हैं मैं इसका समर्थन करता हूँ। न केवल हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है बल्कि हमारे सारे विरोधी दल के मित्रों को भी इसका स्वागत करना चाहिये। मट्टू साहब याद कीजिये जब आपके हाथ में सत्ता आयी थी तो आपने इस आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की थी। आपने आरक्षण को खत्म किया था। आपसे मेरा निवेदन है कि देयर शुड बी कन्फरमिटी बिटविन प्रोफेशन एंड प्रेक्टिस। तयनी और करनी में एकता होनी चाहिये। हम यह नहीं कहते कि कांग्रेस पार्टी ने उतना आरक्षण दिया जो गांधी जी का सपना था। हम यह भी नहीं कहते कि जितना होना चाहिये था उतना हुआ लेकिन हिन्दुस्तान के कमजोर वर्गों के लिये, जनजातियों के लिये, अनुसूचित जनजातियों के लिये जो कुछ किया वह कांग्रेस की सरकार ने किया और हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं ने किया। आपको कोई फ़ख़ नहीं होना चाहिये क्योंकि आपने कुछ नहीं किया। हम अपने कानून मंत्री जो से निवेदन करता चाहेंगे कि वह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आफ द कंस्टीट्यूशन है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे संविधान में, जिस संविधान को डा० अम्बेडकर की अध्यक्षता में स्वतन्त्रता मंत्रालय के सेनानियों ने बनाया था और डा० अम्बेडकर जिस विधान सभा और लोक सभा को मैनडेटरी प्रोविजन के अंदर लाये थे मैं चाहता हूँ कि 40 वर्षों के देश की आजादी के बीत जाने के बाद हमारे कानून मंत्री जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों को भी स्टेट्यूटरी और मैनडेटरी प्रोविजन के अंदर ला कर वहाँ के चुनाव कराने की कोशिश करें। जिला पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति, जन जाति के लिये आरक्षण की व्यवस्था करे। चौखम्भे राज्य की व्यवस्था करे, आधिक सत्ता का विकेंद्रीकरण करे, राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण करे ताकि पूरे देश में लोकतंत्र का जो पेंड 40 वर्षों से परलवित और पुष्पित हो रहा है यह फल भी दे सके, पेंड सारी दुनिया को एक मार्गदर्शन दे सके, सारी दुनिया के

लोग इस जनतंत्र का और इस समाजवाद का पेंड जो भारत की धरती पर लगा हुआ है उससे जो फल मिले उसका रसा-स्वादन सारी दुनिया के देश, एशिया, अफ्रीका और विकासशील राष्ट्र कर सकें। इस रस को चखने के बाद हिन्दुस्तान न केवल भारत के गरीब वर्गों को विशेष अवसर दे बल्कि उन सारे गुलाम मुल्कों को भी दे जो दबे हुए, पिछड़े हुए हैं। उनको समानता का अवसर दें। न केवल हम अपने देश में ही हरिजन, गिरीजन को विशेष अवसर दें बल्कि दुनिया के उन सारे मुल्कों को, अविक्सित देशों को उंचा उठाने की कोशिश करें जो सदियों से पीड़ित हैं, शोषित हैं। इसी के साथ मैं इस आरक्षण सिद्धांत का समर्थन करता हूँ। आपका धन्यवाद।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO:

Just one point, Sir. He mentioned about the Directive Principles of the State Policy, and he also mentioned about the village panchayats. But, Sir, under article 46 of the Constitution—Directive Principles—it has been very specifically stated that the State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of people and in particular of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. Now, denying them seats in village panchayats is also exploitation and this is against the Directive Principles of the State Policy.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) :

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बिल श्री राज-गम जी ने पेश किया है उसके पूर्ण समर्थन में मैं बोल रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही जरूरी है। इस तरह का अखिल भारतीय स्तर पर हम कोई प्रावधान कर सकें जिसमें हरिजन आदि-वासी लोगों के आरक्षण के लिये प्रबन्ध हो तो यह बहुत अच्छी बात है। राज्यों को यह करना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं है और शायद दो राय ही नहीं सकती है। लेकिन राज्य सरकारें इस तरह का कार्य करने में बहुत सुस्त

दिखलाई पड़ रही हैं। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार और हमारी यह पार्लियामेंट भी कोई बहुत ज्यादा चूस्त नहीं है पिछले 34 वर्षों से श्री कल्पनाथ राय जी जैसे लोगों के भाषणों के बावजूद हम अभी तक हरिजन प्रथा को समाप्त नहीं कर पाये हैं। यह कितना दुखद विषय है, यह शायद श्री कल्पनाथ राय जी भी सोचते होंगे। पिछले 40 वर्षों से हम बहस कर रहे हैं कि राज्य सरकारें उन लोगों को आरक्षण दे या नहीं? चालीस वर्षों का काफ़ी लम्बा समय होता है। यह जाति प्रथा का कोढ़ है और हिन्दू धर्म की देन है। इसको समाप्त करने के लिये पहले भी कुछ लोगों ने कोशिश की है, लेकिन यह प्रथा हमारे देश में अभी भी चल रही है। श्री कल्पनाथ राय जी की यह बहुत गलत धारणा है कि अगर यह प्रथा भारत वर्ष से समाप्त हो जायेगी तो सारी दुनिया से समाप्त हो जायेगी। शायद उनको मालूम नहीं कि यह प्रथा सिर्फ हिन्दुस्तान में है या दुनिया के अन्य देशों में हरिजन नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे देश में भी यह प्रथा हिन्दू धर्म की देन है।

श्री कल्पनाथ राय : अफ्रीका में है।

श्री चतुरानन मिश्र : अफ्रीका में हरिजन नहीं है। वहां पर गोरे और काले का भेद है। गोरे के हाथ में बन्दूक है। अगर यह बन्दूक काले उनके छीन ले जैसे हम लोगों ने छीन ली थी, तो यह प्रथा वहां समाप्त हो जायेगी।

जैसा मैंने कहा हमारे देश में यह प्रथा हिन्दू धर्म की देन है। मैं समझता हूँ कि यह घृणित प्रथा है। हमारे बाप दादाओं ने पता नहीं किस कारणवश इस प्रथा को जन्म दिया? ऋग्वेद में कहा गया है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुए क्षत्रीय बाहुओं से पैदा हुए, वैश्य पेट से पैदा हुए और ये लोग पैरों से पैदा हुए। शुरु से ही इन लोगों को निम्न

स्थान दिया गया। यह सिर्फ हमारे धर्म की परिकल्पना है जो छोड़े टूटते ही हैं। हम समझते हैं कि हमारा ज्ञान सीमित है। दूसरे माननीय सदस्यों को इस संबंध में अधिक जानकारी होगी। दुनिया में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिनमें इस बात की कोशिश नहीं की गई हो कि लोगों का उत्थान किया जाये। सभी धर्मों का मूल यही है कि सब लोगों का उत्थान हो। लेकिन पता नहीं, किस कारण हिन्दू धर्म में हमारे बाप दादाओं ने जाति प्रथा के इस कोढ़ को बनाये रखा। इन लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश होनी चाहिए। इन लोगों को नीचा समझने की गलत धारणा जो हमारे बाप दादाओं ने चला रखी है इसको आज समाप्त करने की सख्त आवश्यकता है। इन लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश पहले भी होती रही है। प्रबन्धान दूने इसकी चर्चा की है। अपने मठों के अन्दर उन्होंने इसको समाप्त करने की कोशिश की। जैन धर्म में भी इसी तरह की बात आई है। बाद में भी बहुत से लोग आये हैं। सिख धर्म में भी इसी तरह की बात आई है। उसमें भी जाति प्रथा को नहीं माना गया है। इस्लाम धर्म जब हमारे देश में आया उसमें जाति प्रथा नहीं थी किन्तु उस पर भी हिन्दू धर्म का असर हुआ। इसलिये आज वैकवर्ड मुस्लिम और हरिजन मुस्लिम नाम से बात चल पड़ी है। इस प्रकार से यह प्रथा हमारे लिये अभिशाप बनी हुई है।

जहां तक हरिजन आदिवासियों को पंचायतों और नगर पालिकाओं में शामिल करने का सवाल है। इसको राज्य सरकारें कर भी रही हैं। पंचायतों में और दूसरी जगहों पर वे हरिजनों को नामांकित करती हैं। संविधान में इस प्रकार कोई प्रावधान नहीं है लेकिन फिर भी हरिजनों का नामांकन किया जाता है। लेकिन तरह-तरह का पक्षपात होता है और अगर संविधान में ऐसी व्यवस्था हो जायेगी तब कोई पक्षपात का विषय नहीं रहेगा तब हम लोग अपने आप यह स्थान उनको

[श्री चतुरानन मिश्र]

दे देंगे, जैसे असम्बलियों के अंदर देते हैं पार्लियामेंट में देते हैं। इसी तरह की अगर हम व्यवस्था कर लेंगे तो जो अभियोग पक्षपात का आता है वह भी समाप्त हो जायेगा। इसलिये ऐसी व्यवस्था करने की सख्त जरूरत है।

एक प्रौर विषय है और वह यह सिर्फ नौकरियों में स्थान दे देने से या असेम्बली और पार्लियामेंट में स्थान दे देने से इन सब की समस्या, हरिजन की समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि इस तरफ कुछ करने की जरूरत है ताकि यह सामाजिक दुर्गुण समाप्त हो सके। अब हमारे बीच गांधी जी भी नहीं है। अब जो नये गांधी है वे राजपाट करने के लिये है, वे समाज में परिवर्तन के लिये नहीं।

श्री कल्पनाथ राय : ऐसी बात नहीं है ... (ब्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : अब ऐसा कोई गांधी नहीं है जो कहे कि ईश्वर अल्ला तेरो नाम सब को सम्मति दे भगवान। अब ईश्वर, अल्लाह सब अलग-अलग हैं। टी०वी० में अलग है, रेडियो में अलग हैं और वोट के भाषणों में भी अलग है। एक ही गांधी हुए हैं जिन्होंने कहा कि दोनों एक ही हैं। यह हरिजन नाम जो है, उपसभाध्यक्ष महोदय, यह भी समाज्ये गांधी जी का देन है। वैसे इस तरह की चर्चा बाल्मीकी रामायण में भी है लेकिन हम समझते हैं कि राजनीति में हरिजन शब्द गांधी जी लाये हैं। कल्पनाथ राय जी और दूसरे लोग नये गांधी के जिस तरह में हैं, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है इसमें आप लोगों का प्रमोशन हो जायेगा हमें खुशी ही होगी। मैं यह कहना चाहता हूँ, कल्पनाथ राय जी कि यह एक सामाजिक पहलू है और इस पर हमें इसी दृष्टि से विचार करना चाहिए। इसके लिए हम सब जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं इस पहलू पर सोचें कि कैसे हम समाज

का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। मेरी मान्यता यह है कि हम सभी भावनात्मक रूप से इस विषय पर समान बोलते हैं लेकिन मौलिक परिवर्तन लाने में असफल रहे हैं। कल्पनाथ राय जी माने या न माने लेकिन इस स्थिति में अभी तक कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है।

श्री कल्पनाथ राय : फर्क नहीं पड़ता है।

श्री चतुरानन मिश्र : पिछले 40 वर्षों तक आप भी घास छीलते रहे हैं और हम भी इस और कुछ ऐसा नहीं कर पाये हैं जिससे हरिजनों और आदिवासियों को समाज में औरों के समान सम्मान का पद मिल सके।

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ... (ब्यवधान) ... मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 40 वर्षों में हजारों-हजार विधेयक, हजारों-हजार संसद सदस्य, सैकड़ों की संख्या में आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, एम०एल०ए०, एम०एल०सी० क्या घास छीलते रहे है? ... (ब्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : हमने कहा कि समाज में परिवर्तन लाने के लिये आप जड़ की बात को काट देते हैं आपकी यही गलती रही है। मा०स० कल्पनाथ राय जी ने कहा है कि रूस में पेट की आजादी है लेकिन मन की आजादी नहीं यह धारणा गलत है। पहली बात बिना प्रेस की आजादी के मन की आजादी असम्भव है यह दूसरी बुनियादी धारणा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिना पेट भरने के कभी भी हरिजन ऊपर नहीं आयेंगे। भूमिहीन रहकर ब्राह्मण भी हरिजन हो जाता है, क्षत्रिय भी हरिजन हो जाता है। नाम से कहेंगे कि राजपूत हैं, राजा के लडके हैं, 100 पीडी पहले से राजा कोई उनके कुल में नहीं हुआ है लेकिन अपने को क्षत्रिय कहेंगे और दस्तानी करेंगे।

श्री कल्पनाथ राय : रूस में मन की आजादी नहीं है ... (ब्यवधान) ...

श्री चतुरानन मिश्र : यही बोलकर आप जनसाधारण को भ्रमित किये हुए हैं। जहां शत प्रतिशत शिक्षा है और आपके ही मुताबिक पेट की आजादी तो फिर मन की आजादी क्यों नहीं होगी। हां वहां राजाओं और टाटा बिरलाओं को नहीं रहने दिया गया है।

इस्पात और खान मंत्रालय में खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : आप बोलिये आगे आगे।

श्री चतुरानन मिश्र : आपकी पार्टी में ही इस तरह की चर्चा करते हैं।

श्री कल्पनाथ राय : रूस में जनतंत्र नहीं है, मन की आजादी नहीं है ...

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) : उनको जवाब मत दीजिए, आपको जो कहना है काहिए।

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभाध्यक्ष महोदय, कल्पनाथ जी समझते हैं कि जहां राजा नवाब, टाटा बिरला नहीं हैं बेरोजगारी नहीं है वहां जनतंत्र कैसे होगा ? जनतंत्र की यही परिभाषा है इनकी। मैं यह कहना चाहता था कि अभी तक हम लोग इस काम में यानी हरिजनों आदिवासियों को उठाने में बहुत पीछे रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप एक दूसरी घटना घट रही है जिसकी ओर मैं ध्यान ले जाना चाहता हूं। भयानक बेरोजगारी के कारण ऊंची जाति के लोग भी उठ रहे हैं। गुजरात में क्या हो रहा है। एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट हो रहा है। इस का मतलब क्या हुआ ? समाज का एक दूसरा हिस्सा जो है वह भी अनइम्प्लायड रह कर अब और भटकने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वह दंगा करने पर तुल गया है। इसलिए सर्वांगीण रूप से देखें तो आरक्षण के साथ-साथ ऐसी सामाजिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था करनी होगी जिस में तमाम लोगों को नौकरी मिले जीविका मिले नहीं तो गुजरात जैसा आरक्षण विरोधी दंगा होगा और ऐसा होना बड़ा ही घातक होगा, संविधान के विपरीत होगा। इसलिए हम ने कहा कि पेट का मामला, भूख का

मामला सुलझाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसका निराकरण होना चाहिए। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो बिल माननीय सदस्य राजगम जी ने लाया है बहुत ही अच्छा किया है। मैं इसका पूर्णतया समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार इस पर गहराई से विचार करे (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे एक सवाल पूछना है ? (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालदाते) : एक मिनट रुकिये वह खत्म कर रहे हैं। (व्यवधान) ऐसा क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान) उनका ग्राबरी प्वाइंट है।

श्री चतुरानन मिश्र : मैं यह कह रहा हूं कि जहां यह प्रारंभिक कदम उठाना निहायत जरूरी है लेकिन मूलभूत विषयों पर जाना चाहिए। मैं यह भी अपेक्षा करता हूं मंत्री महोदय इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे जल्दी में राजगम जी इस बिल को वापिस नहीं लेंगे जब तक यह क्लीयर नहीं हो जाए कि सरकार क्या करेगी। दूसरे महलुओं पर भी जोर दें धार्मिक, सामाजिक परिवर्तन और तीसरे आर्थिक परिवर्तन हों नहीं तो हरिजन समाज ऐसे ही दबे हुए रहेंगे तथा हमारे भ्रमणों से इनका कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं एक बार फिर जोर देता हूं कि आज देश की परिस्थिति तेजी से बिगड़ रही है और इस बिगड़ती हुई परिस्थिति को सम्भालने के लिए सर्वांगीण रूप से प्रयास होना चाहिए। यह प्रयास धार्मिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर, आर्थिक स्तर पर तथा राजनैतिक स्तर पर भी होना चाहिए।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : सांस्कृतिक स्तर पर भी ...

श्री चतुरानन मिश्र : संस्कृति तो बदल ही जाएगी।

श्री कल्पनाथ राय : मैं मिश्रा जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (डा० बापू कालवार्ते) : इसका कोई समय नहीं है। इस पर डिबेट नहीं चलेगा।

It will not go on record.

SHRI KALP NATH RAI:\*

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे राजगम जी ने रखा है मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह तो ऐसा विधेयक है जिसका सारा सदन समर्थन कर रहा है, कोई दलगत राजनीति इस में नहीं रही है जैसे कि सभी माननीय सदस्यों के वक्तव्यों से जाहिर हुआ है। यह एक छोटा सा संशोधन विधेयक है। गांव की पंचायतों में, गांव-सभाओं में, नगरपालिकाओं में, नगर निगमों में तथा यहां तक कि कोऑपरेटिव सोसायटीज में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संरक्षण होना चाहिए। यह बात इसलिए जरूरी हो गई यों तो जब हमारी संविधान सभा ने लोकसभा और असेम्बलियों में संरक्षण रखा तो उस पर एक पाबन्दी लगाई गई कि 10 वर्ष के बाद यह संरक्षण समाप्त हो जाएगा परन्तु अनुभव ने यह सिद्ध किया कि जिन महानुभावों ने उन दिनों संविधान में 10 वर्ष का संशोधन रखा।

वह सोचते थे कि दस वर्ष में शायद हमारी सामाजिक और आर्थिक हालत या राजनीतिक हालत सही हो जाएगी। अनुभव थोड़ा उसके प्रतिकूल रहा और यह जरूरी हो गया है अब कि जो हमारी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको केंद्रीय सभाओं में और लोकल बाडीज में भी संरक्षण होना चाहिए।

जिन राज्यों ने दे रखा है, चाहे वह आन्ध्र हो, महाराष्ट्र हो, उन राज्यों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और जिन राज्यों ने नहीं दे रखा है, वह इस संविधान संशोधन के बाद या तो केंद्रीय कानून बन जाए, जिससे कि सबको मान्य हो, वरना केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को कह सकती है कि जिन राज्यों में यह संरक्षण नहीं है, वहां दिया जाए।

यह तो रखा है कुछ राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश का मुझे मालूम है कि चुनाव में अगर महिलाएं न आए, तो महिलाओं को नामजद कर दो, हरिजन भाई न आए, तो हरिजन भाइयों को नामजद कर दो, लेकिन चुनाव से न आए हों, तब यह नामजदगी होती है। जैसा शायद मिश्र जी इसकी चर्चा कर रहे थे, इस संविधान संशोधन के बाद यह हो जाएगा कि नामजदगी की जरूरत नहीं होगी, उनको चुनाव में ही रिजर्वेशन मिल जाएगा। रिजर्वेशन की और भी जरूरत इसलिए हो गई, जो मैं देखता हूँ और भुगतभोगी है सारा देश इस केस में, शायद दक्षिण भारत में बूथ क्वॉटरिंग न हो, लेकिन उत्तर भारत के लोग तो यह जानते हैं कि बूथ क्वॉटरिंग में गरीब, हरिजन भाइयों की वोट ही रोकी जाती हैं, अपने आप ही डाली जाती हैं पहले। मेरे क्षेत्र में तो एक दिन पहले ही वोट पड़ जाती रही है बहुत दफा। चुनाव अगले दिन है, शाम को ही वोट डाल दिया उनसे लेकर।

मैं तो भुगतभोगी रहा हूँ बागपत से— वह सब गरीबों की वोट डाली जाती हैं।

रिजर्वेशन और भी जरूरी हो गया है। जिनको वोट डालने का हक नहीं है, तीस-चालीस साल के बाद और डाल नहीं पाते हैं, वह चुनाव में खड़े भी हो जाएं, तो उनको वोट कोई देगा नहीं। तो यह कई कारण हैं, जिससे यह संविधान संशोधन आवश्यक हो गया। इसमें बहुत बातें सोची जा सकती हैं कि रिजर्वेशन धीरे-धीरे समाप्त हो, राजनीतिक भी और सविसेक

का भी, मगर दिनो-दिन कटु मत्य अगर बोल दूँ, तो चुनाव ने ही जाति-पाति को ज्यादा बढ़ावा दे दिया है इन दिनों।

यह दुर्भाग्य है देश का, मैं इसको कोई अच्छा लक्षण नहीं मानता हूँ। मगर दुर्भाग्य है देश का कि जाति-पाति चुनावों में ज्यादा बढ़ गई और जाति-पाति से गोलवादी भी आगे चलने लगा है मब जगह, सब-कास्ट। तो गिरावट की पराकाष्ठा है, उदारता की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ देश को नहीं ले जा सके हम लोग। यह हमारी बर्दाकस्मती है, देश की। लिहाजा यह जरूरी हो गया।

तीसरे, कुछ सोचा जा सकता हो, अगर, तो यह हो सकता है—यह तो गांव सभा और पंचायत और लोकल बाडीज का है, मगर असेम्बलियों और लोक सभा में सभी पार्टियों के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे लोगों को जो रिजर्वेशन से आते हैं, उन जातियों को जनरल सीटों से चुनाव लड़ा करके देखें तजुबों के लिए और उनका सहयोग करें। तब तो उन लोगों में आत्म-विश्वास पैदा होगा। जनरल सीटों के लिए हम हर पार्टी के लोगों को कहना चाहते हैं कि वह उन लोगों को चुनाव के लिए टिकट दिया करें।

श्री बी० पी० मौर्य एक ऐसे व्यक्ति है इस देश में जो मेरे मित्र भी रहे हैं, चाहे वह विरोधी पार्टी में आज हों, डमका कोई सवाल नहीं है, जिन्होंने राजनीतिक रिजर्वेशन का हमेशा दिल से विरोध किया और वह तो पता नहीं अपने भाषण में क्या-क्या कहते रहे कि यह भीख है और भिखारी और यह राजनीतिक भीख है, नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी चुनाव लड़-लड़ कर देख लिया। जनरल सीटों से एक-दो दफा जीत करके आए होंगे, पर ज्यादातर हारते रहे वह। मैं उनके इस प्रयत्न को सराहनीय मानता हूँ कि जनरल सीट से हमेशा लड़े, मगर रेजल्ट उनकी फेवर में भी नहीं गया। एक-दो दफा तो जीते हैं, बाकी तो हारने का ही रेजल्ट उनका ज्यादा है जीतने के मुकाबले में।

यह अगर पार्टियां करें—अब तो दो-अढ़ाई साल सेंटर में हमारी मब पार्टियों का राज रह चुका है, हमारी पार्टी तो शुरू से ही है, कम से कम कोई भी उपाय मोचा जाए जनरल सीटों से लड़ने का। कोई मंत्री पांच या दस वर्ष रह जाए तो उस मंत्री को कह दें कि तुम्हें तो अब दूर हो जाना चाहिए, तुम्हें जनरल सीट में खड़ा करेंगे। रेजर्व सीट में कुछ हटाया जाए सीटों को धीरे-धीरे और जब यह तजुर्बा हो जाए, हमारे हरिजन भाइयों में आत्म-विश्वास आता जाए कि हम जनरल सीट में भी जीत सकते हैं, तब रेजर्व सीट की समाप्ति की बात असेम्बली लोक सभा में सीची जा सकती है कुछ दिनों बाद। मगर अब तो यह प्रकोप बढ़ रहा है, ढलान जो है। वह जाति-प्रथा, धेनुवाद, प्रांतवाद की तरफ बढ़ रहा है, जो देश का दुर्भाग्य है।

यह संविधान (संशोधन) विधेयक जो यहां रखा गया है माननीय सदस्य द्वारा यह बहुत सराहनीय है और मैं न्याय मंत्री जी से कहूंगा कि इसको मान लें, तो शायद अच्छा ही होगा। और मानने में कोई दिक्कत हो, तब राज्य सरकारों को आदेश में देने तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ज्यादातर राज्य सरकारों से यह संबंधित भी है, यह बात सच है। मट्टू साहब कह रहे थे कि संविधान सेंटर का इसमें लाया गया है, मगर असेम्बलियों से इसका वास्ता ग्राम पंचायतों से है डायरेक्ट केन्द्र से इसका वास्ता नहीं है, यह मैं जानता हूँ। तो कम से कम न्याय मंत्री जी इस प्रस्ताव को आप पास करने के बाद राज्य सरकारों के लिए भेजने का मानें, कुछ तो मानें। लेकिन यह ऐसा न्यायोचित कदम है जो कि सराहनीय है। हमारे जो हरिजन भाई हैं, जो आदिवासी हैं उन लोगों में आत्म-विश्वास पैदा करने की चीज है। यह मांग सर्वदलीय है, सारे सदन की यह मांग है, इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। मैं प्रस्तावक महोदय का फिर हृदय से अन्यायवाद करता हूँ।



(Amdt.)

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) :** माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मुझे श्रीमान् कल्पनाथ राय जी की बात को सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। जिस पार्टी ने ढाई वर्ष के अन्तराल को छोड़कर इस देश पर लगातार राज्य किया हो वह पार्टी एक हरिजन की इस अभिलाषा को कि वह भारतवर्ष का राष्ट्रपति बन सके, उनके दल में रहते हुए, उनके दल के बाहर भी होते हुए, अन्तिम समय तक उसे पूरा नहीं कर पाई, मरने के बाद स्वागत किया, वह स्वागत वोट के लिये हो सकता है, उस व्यक्ति के लिये नहीं हो सकता है। श्रीमान् यह संविधान (संशोधन) विधेयक कांग्रेस सरकार की असफलता का सबसे बड़ा प्रतीक और प्रमाण है जोकि गांधी जी का नाम लेकर हरिजन जाति को ऊपर उठा नहीं पाई और उसे समाज में सम्मान नहीं दिलवा पाई। आज देश में हरिजन जलाये जाते हैं और गांव उजाड़े जाते हैं। बहुत बढ़-बढ़ कर कल्पनाथ जी बात करते थे। लेकिन एक मिनट के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी बात लें। शैड्यूल कास्ट एन्ड शैड्यूल ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट बार-बार प्रकाशित होती है। उस रिपोर्ट का उस प्रतिवेदन का कार्यान्वयन आपकी सरकार क्यों नहीं करती? उस कमीशन को अधिकार क्यों नहीं देती? यह सरकार के सामने सारी चुनौती मुह बाएँ खड़ी है। मुझे तो आश्चर्य लगा हमारे बुजुर्ग नेता बड़े भाई कहते हैं इस बिल का सबको संशोधन स्वीकार करना चाहिये। क्यों स्वीकार करना चाहिये? जिस दल में आप रहते आये वह दल 40 वर्ष के पश्चात् भी इस बिल को लाने के लिये किसी को बाध्य होना पड़े इस पर क्यों नहीं अफसोस प्रकट किया? अगर सचमुच में नैतिकता होती, मौलिकता की बात तो छोड़ दीजिये, तो कांग्रेस सरकार को इस बिल के आते-जाते चूल्हू भर पानी में डूब मरने की नौबत है?

**श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) :** आप उनको कह रहे हैं?

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** इनके द्वारा इसलिये कह रहा हूँ कि इतना अनुभवी आदमी हम लोगों से ड्यूटी अनुभव को ले करके और सब घाट का पानी पी करके, फिर उसी घाट में पानी पीने चले गये, जिसने कि इस बिल को लाने की नौबत लाई। आप कहते हैं हरिजन जनरल सीट से सब पार्टी लड़ाई। अरे, हमने हरिजन को लड़ाया है और जिताया भी।

**श्री कल्पनाथ राय :** किसको जिताया ?

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** उत्तर प्रदेश में मास्टर शिव राम को जनरल सीट से जिताया। मेरा कहना है कि जो पार्टी बड़ी है और जनता पार्टी एक बार पार्टी बन गई। आयी, पार्टी बनने जनता की मदद से शासन में चली आई, पार्टी बनने के पहले ही, नहीं तो वास्तव में अभी कोई विरोधी पार्टी इस देश में नहीं बनी, शासक पार्टी भले ही बनी, लेकिन विरोधी पार्टी नहीं बनी... (व्यवधान)

**श्री कल्पनाथ राय :** तीन वर्ष में देश का सत्यानाश कर दिया।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** तीन वर्ष भारत का गोल्डन पीरियड है, जिसको देश आज नहीं बल्कि जब तक कांग्रेस का शासन रहेगा, उसको धाद रखना पड़ेगा। निश्चिन्तता पूर्वक कोई विचार कर सके, जनता जनार्दन, आज गांवों का जो रेट बढ़ता जा रहा है, उस भावों के रेट को आपको बार-बार वेतन में सुविधा देकर पूरा करने की नौबत आई है। मैं इस बात को श्रीमान् जी बार-बार दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस के प्रवक्ता को इस बिल पर ज़रूर गहराई से चिन्तन करना चाहिये कि इस प्रकार के बिल को लाने की नौबत क्यों आयी?

**श्रीमान् जी,** हमारे मित्र चतुरानन जी लाख नाप-दाढ़ों को कोर्स। नोबलने

की बात हो सकती है। मैं जानता हूँ, पहले सामाजिक विचारक डा० राम मनोहर लोहिया जी ने जाति-तोड़क मस्थान स्थापित करके कोशिश की कि इस जातिवाद को कम करें। मेरे एक मित्र ने उस समय मुझे कहा—सस्था के सदस्य बन जाओ। मैंने कहा—मदस्थ तो बन सकता हूँ, लेकिन यह बताओ कि जाति तोड़क, के तुम्हारे पास रचनात्मक कार्यक्रम क्या है? हिन्दू धर्म के अग्र अध्ययन करने वाले हैं तो शुरू में अन्त तक अध्ययन करके देखें, इस जाति प्रथा पर बड़े-बड़े ऋषियो-महाऋषियो ने आघात किया, लेकिन उन्होंने उसकी कोर्ट व्यवस्था नहीं डाली। आप अगर किसी व्यवस्था को खराब कर दें, दम गाली दे दे, उसके विरोध में एक साहित्य रचना कर दें, जब तक व्यवस्था के द्वारा रास्ता नहीं दिखेगा, तब तक उपाय नहीं होगा, यह प्रमाण है। बुद्ध ने, जैन ने किया। जैन ने थोड़ी व्यवस्था डाली, इसलिये जैन समाज पीछे रह गया। आज समाज ने एक बड़ी व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वह व्यवस्था समाज के नीचे स्तर तक समाज के सभी सामाजिक कार्यों में नहीं डाल सके।

श्रीमान् जी, वेदान्त को आप देखिये। वेदान्त ने इस ब्राह्मण व्यवस्था की ध्वजियाँ उड़ाने की कोशिश की, लेकिन व्यवस्था ने उसको भी पूज्य मानकर वही व्यवस्था जारी रखी। आज भी डा० साहब का जाति-तोड़क टूट गया, लेकिन यह व्यवस्था चल रही है। मैं पूछता रहता हूँ योजनाकारों से योजना बनाते हो, या भारत की परम्परा, भारत की जाति प्रथा के खिलाफ योजना क्यों सफल नहीं होगी, इसलिए कि जाति प्रथा इतनी शक्तिशाली, इतनी भयावह है, इसको चुनौती देने की सामर्थ्य अभी किसी में नहीं है। इसलिए अगर सचमुच गंभीरता पूर्वक विचार करने का विचार है, तो इस व्यवस्था में कैसे सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, और शैक्षणिक रूप से

परिवर्तन ला सकते हैं? जब तक इस व्यवस्था को नहीं छू सकते, तब तक राजनीतिक दृष्टि से सिवा आरक्षण, रिजर्वेशन के दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूँ, इस संशोधन प्रस्तुतकर्ता महोदय से कि भाई, दो जगह क्यों छोड़ दिया, अपने ही राज्य सभा से आपने क्यों सुधार नहीं किया। अगर देना ही था, लोक सभा में है, विधान सभा में है, तो राज्य सभा और विधान सभा परिषद में क्यों नहीं?

[उपसभाध्यक्ष (श्री पवन कुमार बोसल)  
पोठासन हुए]

श्रीमान जी, अगर सुधार ही चाहते थे। इसी सुधार के द्वारा तत्काल ही हम उसका कुछ उपाय कर सकते थे अन्यथा नहीं। इसलिए कि नौकरी में रिजर्वेशन का भी पूरा कोटा हम आज तक हरिजनो को नहीं दे पाए, कभी योग्यता के नाम पर और कभी किसी और नाम पर। क्या चपरासी के पद के लिए भी योग्यता उनमें नहीं पाई गई, जो उसका कोटा भी पूरा नहीं होता। लेकिन कम से कम राज्य सभा और विधान परिषदों में अगर आरक्षण की बात हो जाये तो यह कोटा विधिवत पूरा हो सकता है।

अगर यह संशोधन का वक्त होता तो मैं दो शब्द अवश्य जोड़ता।

श्रीमान, जो संशोधन सम्मानित सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसको हर राज्य सरकार ने व्यावहारिक रूप में स्वीकार कर लिया है, चाहे पंचायत हो, पंचायत में भी एक बार्ड हरिजन को दिया गया है, एक महिला को दिया गया है। जहाँ नहीं है वहाँ, जैसा रामचन्द्र जी विकल ने कहा, आपसन से भी लिया जाता है। जो व्यावहारिक रूप से हो चुका है उसको धार्मिक रूप देने की बात बिधि मंत्री कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें कांग्रेस के और विरोध पक्ष के लोगों को एतराज नहीं है। जब दोनों और से स्वीकार्य है, देहाती कहावत है भिया-बीवी राजी तो क्या करेबा काजी।

**श्री श्री रेन्द्र वर्मा :** सबको स्वीकार है ।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** सबको स्वीकार होते हुए भाषण की आवश्यकता इस लिए समझता हूँ क्योंकि मंत्री जी कहेंगे कि मैं इसे अपने ढंग से रखना चाहता हूँ क्योंकि सरकार अपनी प्रतिष्ठा चाहती है, कोई काम हो, वह सरकार के द्वारा हो, किसी गैर के द्वारा न हो । मैं चाहूँगा कि सरकार अपने द्वारा भी कर ले, लेकिन कर ले । मैं यह जरूर कहूँगा कि यह आपकी नहीं, सम्पूर्ण समाज की भी असफलता है कि हम हरिजन बंधु को गांधी जी ने हरिजन नाम दिया, लेकिन हरिजन का प्यारा बनाने में ...

**श्री कल्पनाथ राय :** आपकी पार्टी में एक भी हरिजन संसद-सदस्य है ?

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** आप कब किस पार्टी में होंगे पता लगा कर रखिए, नहीं तो बदल कर हमारे पास आ गए तो आपकी बात आपको बिकत में डालेगी ।

इसलिए, उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करते हुए अपने विधि मंत्री से आग्रह करूँगा कि इसको जब आपका दल भी स्वीकार करता है तो आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लें, लेकिन स्वीकार कर लें । अभी तत्काल समाज में हम यह स्थिति नहीं ला सकते हैं । कानून बन सकते हैं, लेकिन कानून से समाज का परिवर्तन नहीं किया जा सकता । सामाजिक परिवर्तन के लिए रचनात्मक काम गांधी जी ने किए थे । समाज गिरता चला जा रहा है, उसको बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा—अगर इसका श्रीगणेश करने वाला नेतृत्व प्राप्त हो जाये तो प्रति उत्तम है । उस दिन समाज का सचमुच में सबसे बड़ा उपकार होगा जिस दिन आरक्षण की व्यवस्था न करनी पड़े, लेकिन आज के समाज में यह यूटोपियन थ्योरी के समान है । इसलिए आज इस संशोधन की आवश्यकता है । इस संशोधन को स्वीकार किया जाय, इन्हीं

शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

**डा० रुद्र प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश)**  
माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका मैं हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझको सम्मानित सदस्य श्री एन० राजंगम द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक, 1986 पर अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर दिया है । मान्यवर, माननीय सदन इस बात से सहमत होगा कि प्रत्येक युग में चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग रहा हो, चाहे द्वापर युग रहा हो, चाहे कलियुग रहा हो, अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के साथ अत्याचार होता आया है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सामाजिक धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक हर दृष्टि से उनका शोषण किया गया है ।

श्रीमान्, इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए ही संविधान के निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से संविधान में विशेष प्रावधान किये हैं और इसी के आधार पर लोक सभा तथा विधान सभा में उनके लिये क्षेत्र आरक्षित किये गये हैं । श्रीमान्, मैं अनन्यतः विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि जिस आदर्श, जिस नीति जिस सिद्धांत के आधार पर हमने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये लोक सभा तथा विधान सभा में क्षेत्र आरक्षित किये हैं तो हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि स्थानीय निकायों के क्षेत्रों में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये क्षेत्र आरक्षित किये जायें । क्योंकि माननीय सदन इस बात से सहमत होगा कि क्षेत्रों के आरक्षण में हमें दोहरी नीति या दोहरे सिद्धांत या दोहरे मापदंड नहीं बनाने चाहिए । जो सिद्धांत हम ने लोक सभा और विधान सभा के लिये बनाये हैं वही सिद्धांत हमें स्थानीय निकायों के क्षेत्र में अपनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । कुछ लोग यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि जब हम समाजवादी समाज की संरचना की बात कहते हैं तो उसमें देह

के नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर कोई भेद भाव नहीं किया जाना चाहिए और सब को समानता का दर्जा मिलना चाहिए। इस संबंध में मैं अत्यन्त विनमता पूर्वक उन से कहना चाहूंगा कि यह बात तो तभी उचित होगी जब कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देश के प्रत्येक नागरिक को चाहे वह जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो या चाहे कोई भाषा-भाषी हो, चाहे किसी क्षेत्र का निवासी हो, वह स्त्री हो या पुरुष हो, जब सब को समान अवसर जीवन में प्राप्त हों जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त हो जायें तभी इस तक पर विचार किया जाना उचित हो सकता है। परन्तु जैसा कि माननीय सदन इस बात से सहमत होगा कि आज भी हमारे जो देश की अनुसूचित जातियां हैं, देश की अनुसूचित जन जातियां हैं उन की स्थिति आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, प्रत्येक दृष्टि से आज भी तथा कथित उच्च जातियों और अन्य जातियों की तुलना में उनका स्तर निम्न है। जब तक हम उस स्तर तक नहीं ला पाते हैं उन को, तब तक इस प्रकार की बातें करना मैं समझता हूँ कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के साथ अन्याय करना होगा।

श्रीमान्, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के संबंध में चर्चा करते हुए इस सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने हिन्दू धर्म पर कटाक्ष किया है। मैं समझता हूँ कि धर्म निरपेक्ष राज्य में धर्म के संबंध में यह चर्चा न हो तो अच्छी बात है। किसी भी व्यक्ति को इस बात का अधिकार मान्यवर, नहीं होना चाहिए कि वह किसी के धर्म के ऊपर कटाक्ष करे। मैं अत्यन्त विनमतापूर्वक यह बात कहना चाहूंगा कि न किसी हिन्दू को इस बात का अधिकार होना चाहिए, न किसी मुसलमान को अधिकार होना चाहिए, न किसी सिख को इस बात का अधिकार होना चाहिए, न किसी ईसाई को इस बात का अधिकार होना चाहिए कि किसी धर्म पर वह कोई कटाक्ष या प्रहार करे। परन्तु मैं इस के बारे में केवल इतना कहना

चाहूंगा कि जिन्होंने हिन्दू धर्म का अध्ययन किया है—मैं हिन्दू धर्म की बात कहता हूँ, वैदिक धर्म की बात कहता हूँ जिन्होंने हिन्दू धर्म का अध्ययन किया है वे इस बात को जानते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था की गयी थी वह निश्चित रूप से गुण और कर्म के आधार पर की गयी थी जाति के आधार पर कोई वर्ण व्यवस्था नहीं की गयी थी। चाहे आप वेद में देख लो, पुराण उठाकर देख लो सब जगह स्पष्ट रूप से कहा गया है। गीता में आप देख लो, कृष्णजी ने भी यही कहा है कि हमने जन्म के आधार पर यह व्यवस्था नहीं की है गुणों एवं कर्मों के आधार पर यह व्यवस्था की गई है। यह बात यहां नहीं आनी चाहिए थी श्रीमान् मुझे प्रसन्नता है कि कांग्रेस ने अपने सौ वर्ष के गौरवशाली इतिहास में सदैव ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा है और कांग्रेस दल ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में निरंतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा की है। उनके लिए योजनाएं बनाई हैं, उनके लिए उनके लिए कार्यक्रम बनाए हैं। हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया उसमें भी अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के हितों की बात सोची। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने, श्री राजीव गांधी जी ने भी जो 20 सूत्री कार्यक्रम देश को दिया है, उन्होने भी अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के हितों का ध्यान रखा है। माननीय सदन इस बात से परिचित है कि हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने जब उन्होंने प्रधान मंत्री का पद संभाला उन्होंने देश के सुदूर अंचलों में जहां, कि हमारे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग बसे हुए हैं, जहां जाकर उनकी स्थिति को देखा कि वे किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। यह इस बात का द्योत्सक है कि हमारे प्रधान मंत्री, हमारी सरकार और कांग्रेसदल को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कतनी चिन्ता है और यह हमारे देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मान्यवर, मैं इस बात के लिए अपने माननीय सदस्य, अपने सुयोग्य सदस्य की

[ श्री जगदम्बा प्रसाद यादव ]

सराहना करता हूँ कि उन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के प्रति जो सदा ही अन्याय हुआ है, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है और दुराचार हुआ है, और यह भी कटु सत्य है जिसे हमको स्वीकार करना चाहिए इस माननीय सदन में कि उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज भी उनकी स्त्रियों के साथ जो बलात्कार होता है यह दुख का विषय है, चिन्ता का विषय है। मगर यह हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार उन तमाम यातनाओं से उन्हें मुक्त करने के लिए सजग और सचेष्ट है। हमें प्रसन्नता है कि हमारे माननीय सदस्य ने इस विवेक के द्वारा पूरे सदन का ध्यान, हमारी सरकार का ध्यान, भारत की महान जनता का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित किया है और मैं समझता हूँ कि एक गंभीर प्रश्न है जो उन्होंने उठाया है और हमारे माननीय मंत्री महोदय इस पर गंभीरता से विस्तार विचार करे और इसके बारे में सरकार ने ऐसे कदम उठाएँगी कि जिससे हमारे अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों का विश्वास लोकतंत्र में सुदृढ़ हो और उनके हितों की पूर्ण रक्षा हो सके।

सधन्यवाद ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Further discussion on the Bill will continue on the next non-official day allotted for Bills.

5.00 P.M.

**CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

;Deterioration condition of public Hospitals in the country and particularly in Delhi-contd.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, the scope of today's Calling Attention motion is sufficiently wide and many points can be discussed on the basis of this motion. But practically the

scope is limited because of paucity of time. So I would like to raise only some of the important points and I would seek some clarifications from the hon. Minister.

Sir, my first point is that while discussing the condition of the hospitals in our country and in Delhi in particular, it is very difficult to discuss the issue fully divorced from the health policy of the country. Even then there is scope to discuss this issue at length, but simply I would like to mention that I have gone through the statement made by the hon. Minister. But one distortion that I have seen in our health policy is that whatever is there in our country, the basis of modern medical treatment and the health services, was organised by the British Government during the colonial rule, and what has been done in the last 40 years.....

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: The health services were organised by the British Government?

SHRI SUKOMAL SEN: This system that exists today.....

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: The health guides were organised by the British Government?

SHRI SUKOMAL SEN: Please listen to me. The modern medical system was first laid down by the British Government, the hospitals and other things. You must admit it. The modern hospitals were first laid down by the British Government and in the last 40 years, we have extended the system but we have not tried to build it in such a way that it suits the Indian conditions. Why I want to make this point? The hon. Minister is getting irritated....

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I am amazed. That is all. I never get irritated.

SHRI SUKOMAL SEN: You may be amazed, but please listen to this point. There are some common diseases in the country like malaria. Now it has reappeared. It has reappeared in other parts of the country. It has